वार्ड वन अधिकार समिति (वार्ड कमांक 45) की बैठक दिनांक 07/3/18 दिन बुधवार का कार्यवाही विवरण

स्थानः–सामुदायिक भवन स्याहीमुड़ी वार्ड कमांक –45

आज दिनांक 07/3/18 को वार्ड **45 स्याहीमुड़ी के श्री संजय कंवर** की अध्यक्षता में मोहल्ला सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में मोहल्ला सभा एवं वार्ड वन अधिकार समिति के .... प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गईः–

1. **वार्ड कमांक–45 स्याहीमुड़ी में आवेदक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा** के द्वारा **दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय** (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवतन हेतु **4.34 हे.** वन भूमि **10.85 एकड़** राजस्व वन भूमि कुल निरंक हे. वन भूमि की मांग गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् मोहल्ला सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि **4.34 हे. 10.85 एकड़ दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय** कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर आदिवासी परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं सम्पादित कर रहें है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया हैः–

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे. में)

अतः यह एकमत से मोहल्ला सभा में निर्णय लिया गया है कि 4.34 हे. वन भूमि 10.85 एकड़ राजस्व वन भूमि कुल 4.34 हे. वन भूमि की गैर वानिकी प्रयोजन हेतु सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कोरबा (आवेदक) को दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावें।

उपस्थित सदस्य गण

(1) पंतलाल
(2) चैनसिंह
(3) घनश्यामदास
(4) तारचन्दलाल
(5) शीतलदास

वार्ड पार्षद
स्याहीमुड़ी कोरबा

(मुहर: पार्षद वार्ड क्र. 45, हसदेव क्र.03 कोरबा (छ.ग.))

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति वार्ड क.–45
नगर पालिक निगम कोरबा (छ0ग0)

सचिव
वन अधिकार समिति वार्ड क.–45
नगर पालिक निगम कोरबा (छ0ग0)

–::वार्ड वन अधिकार समिति के सदस्यगण एवं उनके हस्ताक्षर::–

	नाम	पिता/पति	हस्ताक्षर
1	मोहन सिंह कँवर	S/o बाबू लाल	मोहन
2	राज कुमार कँवर	पंच लाल	Kanwar
3	पिरीत राम कंवर	शंकर सिंह	पिरीतराम
4	पवन सिंह कँवर	बंधन सिंह	Pawan
5	गीता कँवर	लाल सिंह	कुंवर
6	राम कुँवर कँवर	धीर साय	रामकुंवर
7	देव कुँवर कँवर	बंधन सिंह	देवकुंवर
8	बृज कुँवर कँवर	धन सिंह	कुंवर कंवर
9	काशी साहू	पी. एल. साहू	[illegible]
10	आशीष अग्रवाल	गुलाब अग्रवाल	आशीष अग्रवाल
11	बनवारी आदित्य	स्व. भरत लाल	B..
12	कांशी राम जयसवाल	स्व. रोहितराम	कांशीराम
13	उमेंद दास महंत	दिलेश्वर दास महंत	उमेंद दास

वार्ड वन अधिकार समिति (वार्ड कमांक–45) स्याहीमुड़ी, जिला–कोरबा (छ0ग0)

मोहल्ला सभा की बैठक कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

क.	उपस्थित सदस्य	विषय	बैठक कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुए	हस्ताक्षर
6	शान कुमार	स्याहीमुड़ी विकास खण्ड कटघोरा वार्ड कमांक–45 में दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुडी कोरबा के निर्माण के संबंध में कक्षा कमांक **P533** हेक्टेयर (4.34 हे. 10.85 एकड़ के व्यपवर्तन किये जाने के संबंध में	आज दिनांक ....07/3/18........ को नगर निगम कोरबा वार्ड कमांक–45 स्याहीमुड़ी की मोहल्ला सभा की बैठक, सामुदायिक भवन स्याहीमुड़ी में वार्ड वन अधिकार अध्यक्ष श्री संजय कंवर की अध्यक्षता में समय ..10:00.. बजे आयोजित की गई है। जिस पर चर्चा के दौरान उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वार्ड क.–45 स्याहीमुड़ी में कलेक्टर कोरबा का पत्र कामंक 6049 दिनांक 22.01.2018 के आदेशानुसार दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु स्याहीमुड़ी स्थित कक्ष कमांक–**P533** वन भूमि रकबा 4.34 हे. के गैर वानिकी कार्य हेतु मांग की गई है। उक्त प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी आदिवासी गैर परम्परागत वनवासी कृषि, कार्य आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि संपादित नहीं कर रहें है न ही इन्हे वनभूमि का पट्टा दिया गया है। यह प्रस्तावित भूमि को दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी निर्माण हेतु प्रदाय के लिये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।	दिनांक 07/3/18 को मोहल्ला सभा में प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखा गया एवं विचार विमर्श उपरांत उपस्थित सदस्यों के द्वारा मोहल्ला सभा में अनुमोदन किया गया है।	शान कुमार
7	सोहन कुमार				सोहन कुमार
8	रामलाल				रामलाल
9	अशोक कंवर				Ashok ना/24
10	नारद				[illegible]
11	भगत राम				
12	महेशराम				महेशराम
13	रामदास				राम दास
14	पहलाद				[illegible]
15	हेमेश्वर				Homeshwar

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक/1177/अविअ/भू–अर्जन/2018 कटघोरा, दिनांक 20/03/2018

प्रति,

कलेक्टर
कोरबा

विषय :– अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक बाबत्।
संदर्भ :– आपका आदेश क्रमांक/वन अधि./2017–18/ 8077 कोरबा दिनांक 28.02.2018

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2006, नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत नगरीय निकाय तथा नगरीय क्षेत्रों में उपयुक्तता के संबंध में दिये गये दिशा निर्देश के तहत् नगरीय क्षेत्र कटघोरा जिला कोरबा (छ.ग.) हेतु अनुभाग स्तरीय समिति का गठन किये जाने पर दिनांक 09.03.2018 को आयोजित बैठक में अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा की बैठक दिनांक 09.03.18

☼ अनापत्ति प्रमाण पत्र ☼

मेसर्स सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.) द्वारा दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा निर्माण प्रस्तावित है। जिसमें कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम स्याहीमुड़ी (कोरबा नगरीय क्षेत्र) विकास खण्ड व तहसील कटघोरा,जिला–कोरबा (छ.ग.) में स्थित भूमि P.533 रकबा है. मद संरक्षित वन में से रकबा 4.34 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रहा है। इस व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006,नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के नियम एवं प्रावधानो पर चर्चा की गई, जो वन भूमि ग्राम स्याहीमुड़ी में दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि में कोई भी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य परंपरागत गतिविधि सम्पादित नही कर रहे है, एवं कोई भी वन अधिकार मान्यता पत्र (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर नही दिया गया हैं।

उपरोक्तानुसार उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा (छ.ग.) द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत कटघोरा
सदस्य/सचिव,
अनुभाग स्तरीय समिति कटघोरा

अनुविभागीय अधिकारी,(वन)
अनुभाग–कटघोरा
सदस्य,
अनुभाग स्तरीय समिति कटघोरा

अनुविभागीय अधिकारी,(रा0)
अनुभाग–कटघोरा
अध्यक्ष,
अनुभाग स्तरीय समिति कटघोरा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत पाली
सदस्य,
अनुभाग स्तरीय समिति पाली

अनुविभागीय अधिकारी, (वन)
अनुभाग–पाली
सदस्य,
अनुभाग स्तरीय समिति पाली

(लक्ष्मीकांत जगत)
पार्षद–नगर पालिक निगम
सदस्य –अनुभाग स्तरीय समिति कोरबा

(श्रीमती राजेश्वरी जात्रा)
पार्षद–नगर पालिक निगम
सदस्य –अनुभाग स्तरीय समिति कटघोरा

(श्रीमती सुशीला बिंझवार)
पार्षद–नगर पंचायत छुरीकला
सदस्य–अनुभाग स्तरीय समिति कटघोरा

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 26.03.2018

☼ अनापत्ति प्रमाण पत्र ☼

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.) द्वारा दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा निर्माण प्रस्तावित है। जिसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम स्याहीमुड़ी (कोरबा नगरीय क्षेत्र) विकास खण्ड व तहसील कटघोरा,जिला–कोरबा (छ.ग.) में स्थित भूमि P.533 संरक्षित वन में से रकबा 4.34 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रहा है। इस व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में मोहल्ला सभा स्याहीमुड़ी की बैठक दिनांक 07.03.2018 एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा की बैठक दिनांक 09.03.2018 को सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रस्तावित भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के नियमो एवं प्रावधानो पर चर्चा की गई, जो वन भूमि ग्राम **स्याहीमुड़ी** में दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी कोई भी प्रस्तावित प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधि सम्पादित नहीं कर रहे है, एवं कोई भी वन अधिकार मान्यता पत्र (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित [redacted] वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

उपरोक्तानुसार जिला स्तरीय वन अधिकार समिति कोरबा (छ.ग.) द्वारा सर्वसम्मति के प्रस्ताव पारित किया जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

वनमण्डलाधिकारी,
जिला–कोरबा (छ.ग.)
सदस्य,
जिला स्तरीय समिति, कोरबा (छ.ग.)

वनमण्डलाधिकारी,
कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.)
सदस्य,
जिला स्तरीय समिति, कोरबा (छ.ग.)

26/3/018
(देवी प्रसाद सिंह टेकाम)
अध्यक्ष,
जिला पंचायत कोरबा (छ.ग.)
जिला स्तरीय समिति, कोरबा (छ.ग.)

कलेक्टर,
जिला–कोरबा (छ.ग.)
अध्यक्ष,
जिला–कोरबा (छ.ग.)

(श्रीमती पुष्पा सिंह कवंर)
,सदस्य
जिला पंचायत कोरबा (छ.ग.)
सदस्य,
जिला स्तरीय समिति, कोरबा (छ.ग.)

(श्रीमती रोहणी बाई रजक)
,सदस्य
जिला पंचायत कोरबा (छ.ग.)
सदस्य,
जिला स्तरीय समिति, कोरबा (छ.ग.)

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा (छ.ग.)
सदस्य,/सचिव
जिला स्तरीय समिति, कोरबा (छ.ग.)